

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

+ असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 29, 1983/कार्तिक 7, 1905
No. 184] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1983/KARTIKA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1983

सं० प्रतिअदायगी/सां०सू० 27/83

मासिक सूचना

क्र.सं० 600/4610/83-प्र.अ० —मीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी
नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित
अधिसूचना सं० 52/फ(सं० 602/2/70-प्र.अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार साप्-
ताहिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां०सू० 17/83, दिनांक 1 जून, 1983 में प्रकाशित मारणी में
एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

उपक्रमांक 4610 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

सारणी

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रति अवायवी की दर	वित्तवान			
			सी० शु०		के० उ० शु०	
			रु०	पै०	रु०	पै०
4610	जो० ओ० एम० टी० 18410-73 तथा जो० ओ० एम० टी० 7006-72 के अनुरूप, 3 कोर × 240 वर्ग मि०मी०, ए० एम० बी०, नुमा 10 के०बी० के एम्बुनिमिडम मोटर सर्वाहकों वाले पावर केबल	38313.00 रुपये	29005	75	9307	25

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

श्रीद०बी० नगरकर, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29 October, 1983

No. DRAWBACK/PN-27/83.

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/4610/83-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India (Extraordinary), dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-17/83, dated the 1st June, 1983 :—

For Sub-serial No. 4610 and the entries relating thereto the following shall be substituted :—

TABLE

S. No.	Description of goods	Rate of Drawback	Allocation	
			Cus.	C.Ex.
			Rs. P.	Rs. P.
4610	Power cables with aluminium conductors 3 core × 240 sq. mm ASB type 10KV in accordance with GOST 18410-73 and GOST 7006-72.	Rs. 38313.00 (Rupees thirty eight thousand and three hundred & thirteen only) per kilometer.	29005.75	9307.25

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st June, 1983.

Z.B. NAGARKAR Dy. Secy.